AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science
ISSN (P): 2582:8800 | A Peer reviewed| Annually| Open Accsess & Indexed
Volume 02 | Issue 01| July 2021| ***www.agpegondwanajournal.co.in*** |Page No. 135-146

आदिवासी तेंदूपत्ता संकलनकर्ताओं की आर्थिक स्थिती और समकालीन चुनौतियां

प्रा. हिरदयशहा आत्राम
सहायक प्राध्यापक - वाणिज्य एवं व्यवस्थापन विभाग
जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, महाराष्ट्र

सारांश:

चंद्रपूर एंव गडचिरोली यह जिले महाराष्ट्र के पूर्वांचल में स्थित वनाच्छादित प्रदेश तथा खनिज और वनसंपदा से भरपूर यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तेंदू पत्ता संकलन यह ग्रामीण जनजीवन को लगभग 6 महीनों का वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराता है। दिनभर मेहनत के बाद इन्हें बेहद कम मजदूरी दी जाती है किंतु ग्रामीण जनमानस अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु इस निम्नतम मजदूरी पर भी कार्य कर लेते हैं। यह एक तरह से आदिवासी मजदूरों के आर्थिक शोषण को दर्शाती है जबकि इस पर बीड़ी उद्योगपती करोड़ों का व्यापार चलाते हैं। चंद्रपुर - गडचिरोली जिला क्षेत्र के सभी गांव में वन्य प्राणियों द्वारा इन तेंदूपत्ता संग्राहक मजदूरों पर हमले होते हैं। ऐसे में कोरोना महामारी के संकरण का खतरा भी बढ गया है। इसलिए, तेंदूपत्ता संग्रहण की पूरी प्रक्रिया मे कोरोना संकट ने एक बडी समस्या खडी की है। इसी प्रकार स्थानिक तेंदूपत्ता संग्राहक समितियों द्वारा देरी से तेंदूपत्तों की खरेदी के कारण तेंदूपत्ता संकलनकर्ताओं की मेहनत बेकार जाती है और उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती। मौजूदा अनेकों चुनौतियों के बिच आज आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी वनक्षेत्र निवासित स्थानिक लोग तेंदूपत्ता संकलन कार्य कर रहे है।

शब्द सुचक: तेंदूपत्ता व्यवसाय, आदिवासी, कोरोना, कोविड-19

परिचय :

तेंदूपत्ता संग्रहण व्यवसाय मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जानेवाला वनोपज आधारित व्यवसाय है। यह बीड़ी उद्योग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खेती से बचे समय में ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराता है। तेंदूपत्ता यह अपने आसानी से लपेटे जानेवाले गुण एवं अत्याधिक

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
प्रा. हिरदयशहा आत्राम सहायक प्राध्यापक - वाणिज्य एवं व्यवस्थापन विभाग जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर, महाराष्ट्र **Email:** hirdayashah.atram@gmail.com	

उपलब्धता तथा बनावट के कारण ही बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मूलतः वन क्षेत्रों में जहां आदिवासी क्षेत्र अधिक है वहीं पाया जाता है। अर्थात ग्रामीण जनजातिय लोकसंख्या क्षेत्रों मे यह अर्थोपार्जन के लिए सहाय्य करता है।

सरकार द्वारा तेंदू पत्ते का संग्रहण और नीलामी के लिए निश्चित पद्धति निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपूर - गडचिरोली जिलों के तेंदू क्षेत्रों के बिक्री हेतु सरकार टेंडर निकालती है जिसके द्वारा इन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता की तुड़ाई के लिए इकाइयों का आवंटन होता है।

तेंदूपत्तों पर आधारित बीड़ी उद्योग यह घरेलू या लघु उद्योग के रूप में देखा जाता है। इस उद्योग द्वारा वैकल्पिक ग्रामीण रोजगार की उपलब्धता होती है। वैसे तो बीड़ी उद्योग यह स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम डालता है किंतु पहले ही गरीबी से पीड़ित ग्रामीण आदिवासी लोग मजदूरी के लिए इस कार्य में अपने आप को स्वाधीन कर देते हैं। मां-बाप की देखा-देखी कर यह कार्य करते हुए इन्हें पता भी नहीं चलता की वह कब इस उद्योग के मजदूरी का हिस्सा बन जाते है। इसके जरिए लाखों ग्रामवासियों को अतिरिक्त आय का एक प्रमुख साधन उपलब्ध होता है लेकिन रोजगार और मेहनत की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से दिन भर की कड़ी मेहनत के मुकाबले इन्हे रू.120-150 रुपए ही दिन की मजदूरी मिलती है। तेंदू पत्तों के संग्रहण और प्रसंस्करण का कार्य अत्याधिक मेहनत और थकान पैदा करने वाला होता है जिसके बदले बेहद कम आमदनी मिलती है। कहने को तो यह रोजगार का एक साधन है किंतु इसमें श्रमिकों का आर्थिक शोषण भी होता है फिर भी वनोपज पर आधारित यह व्यवसाय उद्योगपतियों और श्रमिकों को पैसा दिलाने में सक्षम दिखाई देता है।

तेंदूपत्ता संग्रहण हो या बीड़ी उद्योग यह विभिन्न राज्यों में फैला हुवा है जहां ग्रामीण महिलाएं और बच्चे बहुतायत से इस उद्योग से जुड़े हुऐ है। लाखों की संख्या में ग्रामीण और शहरी गरीब महिला मजदूर अपने परिवार को पालने के लिए तेंदू संकलन और बीड़ी निर्माण कार्य करती है। यह कार्य तेंदू पत्ते की तुड़ाई से लेकर बीड़ी बनाने में अधिकतम महिलाओं का समावेश होता है इसलिए इस उद्योग में महिलाओं की 45.5% औसतन हिस्सेदारी होती है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1) तेंदूपत्ता संकलन मे कार्यरत आदिवासीयों की आर्थिक स्थिती का अध्ययन करना।
2) तेंदूपत्ता व्यवसाय की स्थानिक ग्राम और आदिवासी संकलनकर्ताओं के आर्थिक-सामाजिक विकास मे भूमिका।
3) तेंदूपत्ता व्यवसाय को प्रभावित करने वाली विभीन्न समकालीन चुनौतियों का अध्ययन करना।
4) कोरोना महामारी का तेंदूपत्ता संकलन व्यवसाय और स्थानिक आदिवासी तेंदूपत्ता संकलनकर्ताओं पर होने वाले प्रभाव को समझना।

अध्ययन क्षेत्र:

प्रस्तूत अध्ययन हेतू महाराष्ट्र राज्य के जिला चंद्रपूर एंव गडचिरोली क्षेत्र को चयनित किया गया है। यह क्षेत्र मुलत: वनाछादित और वनसंपदा से भरपूर और आदिवासी बहुल है। अध्ययन हेतू वर्ष 2020-21 का चयन किया गया है।

अध्ययन पध्दती:

प्रस्तुत अध्ययन के लिऐ व्दितीय तथ्य संकलन पध्दती का उपयोग किया है। व्दितीयक तथ्य संकलन विधी में सरकारी अहवाल, प्रकाशित शोध प्रबंध, अध्ययन विषय से सम्बधीत प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेख, संदर्भ ग्रंथ, वर्तमान पत्र, वेबसाईट आदि साधनों का उपयोग कर तथ्यों का संकलन किया गया है। संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन करके निष्कर्ष निकाले गये है।

विश्लेषण एंव निर्वचन:

तेंदूपत्ता और बीड़ी व्यवसाय:

बीड़ी को भारतीय सिगरेट के रूप में देखा जाता है। यह पेड़ के पत्तों में तंबाकू लपेटकर बनाई जाती है। वैसे तो बीड़ी यह पलाश, साल, तेदू इन पेड़ों के पत्तों से बनाई जाती है किंतु सर्वाधिक तेंदू पत्ते से यह बनाई जाती है। बीड़ी यह बीड़ा से निकलकर बनी है जो पत्तों में मसाला सुपारी या तंबाकू भरकर बनाया जाता है। तेंदू पत्ते का वैज्ञानिक नाम "डायोसपायरस मेलेनोकजायलोन" है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की शुष्क पर्णपाती प्रजाति है। तेंदूपत्ता यह आसानी से लपेटे जाने वाले गुण एवं अत्यधिक उपलब्धता के कारण ही बीड़ी बनाने के लिऐ इस्तमाल किया जाता है। तेंदूपत्ते की बनावट, स्वाद और वर्क एबिलिटी अतुलनीय है। इसकी आग जलाए रखने की अधिक क्षमता और पत्ते की मोटाई और बनावट इन सब के कारण ही बीड़ी उद्योग में तेंदू पत्ते की भारी मांग है।

तेंदूपत्तों का संकलन और संस्करण:

संपूर्ण देश में लगभग एक ही प्रकार की पद्धति तेंदूपत्ता के संकलन और संस्करण के लिए अपनाई जाती है जो मानकीकृत है। फरवरी-मार्च के महीने में तेंदू की झाड़ियों का शाखा कर्तन किया जाता है एवं लगभग 45 दिनों में (देढ महीने) बाद जो नए पत्ते परिपक्व होकर उभरते हैं उन्हें एकत्रित किया जाता है। पत्तों को 70 (या 100) पत्तों की गड्डी में बांधा जाता है जिसे मानक गड्डी (Standard bundle) कहा जाता है। तेंदू पत्तों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं जिनमें 1 मानक बोरा (Standard bag) = 1000 मानक तेंदूपत्ता की गड्डियां (Standard bundles) (70 से 1000 पत्ते प्रति गड्डी)।

आदिवासी पत्ता तोड़कर उन्हें घर लाते हैं और 70 पत्तों की गड्डी बनाते हैं। इन पत्तों को फिर सुखाने के लिए फड़ ले जाते है। इन पत्तों की एंट्री मुंशी/ अधीक्षक कार्ड में करते हैं। पत्ते सूख जाने के बाद पलटाए जाते है, दोनों तरफ से पत्ते सूख जाने पर उसे हुडी करते हैं। अर्थात सब पत्तों को एक जगह इकट्ठा करते हैं फिर पत्तों पर पानी मारा जाता है और तिरपाल से ढक दिया जाता है। पत्ते मुलायम होने के बाद उनकी गिनती करके बोरें(bags) में भर दिए जाते हैं और इस गिनती को रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है फिर पत्तों को अपनी-अपनी समितियों में इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार ज़िले लघुवनोपज सहकारी समितियों द्वारा ही तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य किया जाता है।

चंद्रपूर एंव गडचिरोली यह जिले महाराष्ट्र के पूर्वांचल में स्थित है। जो वनाच्छादित प्रदेश तथा खनिज और वनसंपदा से भरपूर है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण आदिवासी लोग अपनी खेती के अलावा वैकल्पिक रूप से तेंदू पत्तों का संकलन रोजगार पाने के लिए करते हैं। गडचिरोली जिले में कुल 25 यूनिट है जिससे 2020 में लगभग 41,265 मानक बोरा और चंद्रपुर जिले में कुल 67 यूनिट है जिससे लगभग 81,370 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संकलन निर्धारित किया गया है। तेंदूपत्ता संकलन से संग्रहण तक के कार्य हेतु विभिन्न कुशल और अनुभवी मजदूरों की आवश्यकता होती है जो अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों से आते हैं। तेंदू प्रक्रिया में दिवानजी, ग्रेडर्स, मैनेजर एवं मजदूर अलग-अलग जिलों में जाकर एक ही मौसम में तेंदू संकलन के लिए एकत्रित रूप से कार्य करते हैं। तेंदू संकलन यह ग्रामीण जनजीवन को लगभग 6 महीनों का वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराता है। चंद्रपुर जिले के गोंडपीपरी तहसील के ढाबा वनक्षेत्र के 4 यूनिट व 40 तेंदू संकलन केंद्र है। उसी प्रकार राजूरा वनपरिक्षेत्र में 3 यूनिट - 22 तेंदू संकलन केंद्र है। इसीलिए जिले के 22 गांव के लगभग 25 हजार से ज्यादा मजदूरों को तेंदूपत्ता संकलन में रोजगार मिलता है। तेंदूपत्ता संकलन केंद्र के नीलामी के बाद फरवरी-मार्च में शाखकर्तन किया जाता है। अप्रैल-मई में तेंदूपत्ता संकलन कार्य की शुरुआत होती है। राजूरा तहसील के चुनाला, चनाखा, विहिरगांव, कापनगांव, खांबाड़ा, मूर्ति और ढाबा वन परिक्षेत्र के तोहो गांव, लाही, बेजगांव, डोंगरगांव, ढाबा गांव मैं तेंदूपत्ता संकलन किया जाता है। चंद्रपुर जिले सहित देश के सभी इलाकों में तेंदूपत्ता संकलन से बीडी बनाने तक संपूर्ण प्रक्रिया में यातायात या परिवहन के लिए ही ट्रक और वाहनों का उपयोग होता है बाकी सब कार्य केवल इंसानों द्वारा ही किए जाते हैं।[1]

LIST OF TENDU LEAVES COLLECTION UNITS / GROUPS AND YIELD - 2020

Circle	Division/ independent Sub-Division	Range	Number & Name of units	Group ofunits No.	Notified yield (approximate) in standard bags
1	2	3	4	5	6
1(i) Gadchiroli	Gadchiroli	Gadchiroli	1-Gadchiroli		1400
		Kunghada	2-Kunghada (Ry)		1250
		Chatgaon	4 -Amirza		760
1(i) Total of Gadchiroli division: 03 units					**3410**
1(ii) Gadchiroli	Wadsa	Porla	1- Porla		1100
		Armori	2- Wairagad		825
		Armori	3- Jogisakhara		1200
		Wadsa	4- Wadsa		1500
		Delanwadi	5- Nawargaon		750
1(ii) Total of Wadsa division: 05 units					**5375**
1(iii) Gadchiroli	Allapalli	Ghot	1- Deoda		1200
			2- Narendrapur		1250
			3- Potepalli		1500
			4- Ghot		1760

			5- Thakurnagar		1600
		Chamorshi	6- Anantpur		1000
			7- Amgaon		1060
			8- Chamorshi		1600
			9- Ravindrapur		1560
		Markhanda	10- Konsari		1800
			11- Gundapalli		3900
			12- Adapalli		2100
			13- Koparalli		3000
		Aheri	14- Lagam		1250
		Pedigudam	15- Moharli		3300
		Pedigudam	16- Mulchera		2900
			17- Mathuranagar		1700
1(iii) Total of Allapalli Division : 17 units					**32480**
1 Grand Total of Gadchiroli Circle : 25 units					**41265**
2(i) Chandrapur	Chandrapur	Warora	1- Warora		400
			2- Shegaon		800
2(i) Chandrapur	Chandrapur	Bhadrawati	3- Masal		1500
			4- Chora		1700
			5- Bhadrawati		1700
		Chandrapur	6- Durgapur		1500
			7- Chandrapur		2100
		Chichpalli	8- Chichpalli		1500
			9- Mahadwadi		1300
			10- Janala		2100
			11- Mul		950
		Saoli	12- Rajoli		700
			13- Chargaon		500
			14- Saoli		900
			15- Vyahad		750
			16- Sirshi		600
			17- Kapsi		600
			18- Gewara		1000
2(i) Total of Chandrapur Division : 18 units					**20600**
2(ii) Chandrapur	Bramhapuri	Chimur	1- Khandala		1300
			2- Murpar		1400
			3- Gardapar		900
			4- Bhisi		2000
		Chimur	5- Chimur		1700
			6- Metepar		1700
			7- Shankarpur		900
		Talodhi	8- Wadhona		1400
			9- Balapur		1000
			10- Neri		1500
		Talodhi	11- Khambala		1100

		Talodhi	12- Govindapur		500
		Nagbhid	13- Mindhala		900
			14- Dongargaon		900
			15- Paharni		2000
			16- Nagbhid		500
		North Bramhapuri	17- Bramhapuri		1200
			18- Talodhi		1600
			19- Navegaon		500
		South Bramhapuri	20- Bhuj Tukum		1100
			21- Ekara		1100
2(ii) Chandrapur	Bramhapuri	South Bramhapuri	22- Chak Kosambi		1100
		Sindewahi	23- Kargata		1300
			24- Sindewahi		1100
			25- Maregaon		1300
			26- Ratnapur		1700
			27- Gunjewahi		1200
2(ii) Total of Bramhapuri Division : 27 units					**32900**
2(iii) Chandrapur	Central Chanda	Pombhurna	1- Bembal		1000
			2- Ghosari		1000
			3- Pombhurna		700
		Pombhurna	4- Kemara		800
			5-Dongarhaldi		1900
		Kothari	6- Kothari		2200
			7- Aksapur		2300
		Dhaba	8- Gondpipri		1250
			9- Dhaba		1800
			10- Gujri		1800
			11- Tohogaon		1400
		Ballarshah	12- Ballarpur		1200
			13- Kalmna		700
			14- Palasgaon		1200
		Ballarshah	15- Manora		1200
		Rajura	16- Khambada		1400
			17- Rajura		1200
			18- Vihirgaon		2200
		Wirur	19- Wirur		700
			20- Dewada A 20- Dewada B		200
		Wansadi	21- Wansadi		700
		Jiwati	22- Jiwati A,B,C,D,E 23- Wani A,B,C	I	1020

2(iii) Total Central Chanda Division: 22 units /g.o.u. (21 units & 1 group of 2 units)					**27870**
2 Grand Total of Chandrapur Circle: 67 units / g.o.u. (66 units & 1 group of 2 units					**81370**
3 CF & FD, TATR, Chandrapur	Deputy Director (Buffer)(TATR) Chandrapur	Palasgaon	1- Palasagon		1300
		Shioni	2- Shioni		1700
		Mul	3- Maroda		1000
3 CF & FD,TATR, Chandrapur	Deputy Director (Buffer)(TATR)Chandrapur	Mul	6- Ghantachouki		2000
			7- Warwat		2400
		Moharli	8- Agarzari		2000
		Khadsangi	9- Nimdhela		700
			10- Tekepar		1400
3 Grand Total (Buffer Zone) CCF & FD, TATR, Chandrapur: 8 units					**12500**

(Source: Government of Maharashtra revenue and forest department office of the principal chief conservator of forests (Head of forest force) Maharashtra state, Nagpur. E-Tender notice inviting offers for permission to collect Tendu leaves for 2020 season)

तेंदूपत्ता संकलन में आदिवासी:

प्राचीन काल से वन क्षेत्रों को अपना अधिवास मानकर राज्य करनेवाली आदिम जनजातियां आज इन्हीं जंगलों में तेंदू संकलन कर न्यूनतम मजदूरी पर अपना रोजगार ढूंढ रही है। कई लोग इस इलाके के पीढ़ीजात इस व्यवसाय में है जो सालों से तेंदू पत्तों का संकलन और बीड़ी बनाने का कार्य कर रहे हैं किंतु यह आज भी निम्न आमदनी पर गुजर-बसर कर रहे हैं। महाराष्ट्र का पूर्वांचल यह जनजातीय बहुल वनक्षेत्र है जो वन संपदा से सराबोर और कीमती वनोपजों का भंडार है। चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा इन 4 जिलों में सर्वाधिक तेंदू संकलित किया जाता है। क्षेत्र के आदिवासी परिवारों के 10 साल के बच्चे से लेकर 60-65 साल के बुजुर्ग तक तेंदू संकलन हेतु जंगलों में जाते हैं। और इनमें सर्वाधिक महिलाएं होती है किसी भी मजदूर को 70 पत्तों की एक गड्डी इस प्रकार से दिन में निर्धारित 100 गड्डियां जमा करके देनी होती है जो की मजदूरी के कार्य का मानक है। वर्ष 2018-19 के दर को देखा जाए तो संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में लगभग 2.25 लाख मजदूर तेंदू संकलन पर कार्यरत थे। जिनमें केवल चंद्रपूर, गडचिरोली और भंडारा क्षेत्र में ही 2 लाख मजदूर कार्यरत थे। लेकिन हालत यह है कि इनकी प्रतिदिन की मजदूरी नाम मात्र ही रही है जो आज के महंगाई के युग में कहीं नहीं ठहरती।

इन मजदूरों को प्रतिदिन अपना निर्धारित मानक तेंदूपत्तों का संकलन करने पर केवल ₹120 से ₹150 की मजदूरी मिलती है। यह एक तरह से आदिवासी मजदूरों के आर्थिक शोषण को दर्शाती है जबकि इस पर बीड़ी उद्योगपती करोड़ों का व्यापार चलाते हैं। 2020 के तेंदूपत्ता संकलन क्षेत्रों के टेंडर को देखे तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा चंद्रपूर, गडचिरोली क्षेत्र से लगभग 1 लाख मानक बोरा तेंदूपत्तों के संकलन को दर्शाया गया है। इन मानक बोरों का खरीदी मूल्य रुपए 3200 से 3500

होती हैं। जबकि व्यवसायिक बाजार में इन्हे 9,000 से 9,500 रूपये तक बेचा जाता है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को तेंदूपत्ता यूनिट और संकलन केंद्रों के नीलामी का अधिकार दिया गया है किंतु राज्य सरकार और तेंदूपत्ता ठेकेदारों के आपसी संगनमत से मजदूरों को कम मजदूरी देकर अपना हित साधते हैं यह आरोप स्थानिकों को द्वारा अक्सर लगाया जाता है।[1][2]

व्यवसायिक अवसर:

वैकल्पिक रोजगार:

तेंदूपत्ता संकलन और प्रसंस्करण यह वैकल्पिक रोजगार ग्रामीण स्थानीय निवासियों को प्रदान करता है। जिससे खेती-बाड़ी के बाद बचे हुए गर्मी के महीनों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। पुरूषों के साथ ग्रामीण महिलाएं खासकर अधिक संख्या में इस व्यवसाय से जुड़ी हुई होती है जो घर संभाल कर दिनभर जंगलों में तेंदूपत्तों का संकलन कर अपनी आमदनी इकट्ठा करती है। फरवरी-मार्च में शाखकर्तन के बाद अप्रैल के अंत से मई तक यह तेंदूपत्तों का संकलन कर इस डेढ़ महीने के कार्यकाल में ग्रामीण स्थानिक पुरुष और महिलाओं को अपनी मेहनत के अनुरूप यह रोजगार उपलब्ध होता है। इन मजदूरों को दिन भर में निर्धारित मानक में तेंदूपत्ता का संकलन करना होता है। 50 से 70 पत्तों की एक गड्डी इस प्रकार 1000 गाड़ियों का 1 मानक बोरा होता है इस आधार पर इन मजदूरों की दैनिक मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। दिन भर के बाद इन्हें 100 से 150 रुपए की मजदूरी दी जाती है। वास्तविक रूप से यह बेहद कम साबित होती है किंतु ग्रामीण जनमानस अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु इस निम्नतम मजदूरी पर भी कार्य कर लेते हैं।सरकार बोनस के रूप में मजदूरों को अतिरिक्त राशि देने का आश्वासन करती है जो वर्तमान वर्ष के संकलन के आधार पर आने वाले अगले वर्ष में दिया जाता है।[1] [2]

वनसंपदा से राजस्व में बढ़ोतरी:

तेंदू संकलन यह सरकारी राजस्व में विशेष योगदान देता है। राज्य सरकार द्वारा टेंडर निकालकर तेंदूपत्ता संकलन यूनिट और केंद्रों की नीलामी की जाती है। ऑनलाइन टेंडर भरकर तेंदूपत्ता निर्यातकों और बीड़ी व्यवसासिकों द्वारा निश्चित तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्रों के लिए आवेदन किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों के वनों क्षेत्रों में तेंदूपत्ता के इकाईयों की नीलामी के लिए ई-टेंडर पोर्टल महाराष्ट्र सरकार पर प्रदर्शित की जाती है। www.mahatenders.gov.in पर विस्तृत जानकारी के साथ आवेदन प्रणाली दी जाती है। हर साल लगभग 100 करोड रुपए का राजस्व महाराष्ट्र वन विभाग (Forest department Maharashtra) को तेंदूपत्तों के संकलन द्वारा प्राप्त होता है। जिसमें 5-6 करोड़ प्रतिवर्ष केंद्रीय चांदा क्षेत्र जिला चंद्रपूर वनक्षेत्रों के निकटतम संकलन केंद्रों से राजस्व मिलता है। 2020 मई महिने में अनुमानित 1,22,635 मानक बोरो का उत्पादन चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, भंडारा यवतमाल और ताडोबा वन क्षेत्रों से प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया था। नीलामी के आठवें चक्र (8th round of auction) तक वन विभाग को रुपए 26.48 करोड की प्राप्ति हुई थी।लेकिन कोरोना महामारी के चलते तेंदूपत्ता ठेकेदारों द्वारा 2020 में यह केवल 23 यूनिट के 46 गांवों में से बिक्री हो पाई है।[1] [3]

चुनौतियां:

तेंदूपत्ता संग्राहकों पर वन्य प्राणियों के हमले:

स्थानिक तेंदूपत्ता संग्राहक मजदूरों पर आए दिन वन्य प्राणियों के हमले हो रहे हैं। यह जोखिम हमेशा से ही इन मजदूरों पर बना रहा है। चंद्रपुर - गडचिरोली जिला क्षेत्र के सभी गांव में वन्य प्राणियों द्वारा इन तेंदूपत्ता संग्राहक मजदूरों पर हमले होते हैं। 2020 में 26 मजदूरों की मौत वन्य प्राणियों के हमलों के कारण हुई है। सुबह 5:00 बजे से दोपहर या शाम तक तेंदूपत्ता के तुड़ाई का कार्य चलता है। जंगल के अंदर तक इन मजदूरों को तेंदूपत्ता के संग्रहण के लिए जाना ही पड़ता है क्योंकी मानक बोरो का संकलन प्रतिदिन होने पर निश्चित मजदूरी इन मजदूरों को प्राप्त होती है। ऐसे में आमदनी प्राप्त करने हेतु यह मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर भी 100-150 रुपए दैनिक मजदूरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीबी की मार झेलते इन आदिवासी स्थानिक मजदूरों को वन्य प्राणियों के हमलों की चुनौतियों को पार करना ही पडता है।[5][6]

सरकारी GST की मार:

एक समय था जब तेंदूपत्ता राजस्व का एक बड़ा अंश था। और तेंदूपत्ता के लाभांश से कई विकास मूलक कार्य होते थे। वनक्षेत्रों में उत्पादित तेंदूपत्ता कि बाहरी राज्य में बहुत मांग थी। मगर समय चक्र में अब तेंदूपत्ता का उत्पादन भी काफी कम हो गया है। तेंदूपत्ता को लेकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले हजारों तेंदूपत्ता तोड़ने वाले, बांधने वाले और कर्मचारी अब तेंदूपत्ता की बिक्री मंदा हो जाने से उनकी जीविका भी प्रभावित हो रही है। तेंदूपत्ता में जीएसटी लगाए जाने के बाद से पूरी प्रक्रिया ही क्षतिग्रस्त होने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार ने तेंदूपत्ता पर 18 % जीएसटी लगा दिया है। और तेंदूपत्ता कच्चा माल संग्रह और उससे बनने वाले बीड़ी पर फिर 18% जीएसटी वसूली की जा रही है। इसके बाद पांच फीसदी परिवहन टैक्स वसूली जाती है। सरकार तेंदूपत्ता लाभांश पर कुछ नहीं ले रही है। इसका सीधा प्रभाव तेंदूपत्ता तोड़ने, बांधने व अन्य श्रमिकों के जीवन जीविका पर पड़ रहा है।[7]

कोविड-19 का प्रभाव:

चंद्रपुर और गढ़चिरौली में चार तेंदू संग्राहकों को बाघों ने मार डाला था। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण तेंदपत्ता संग्रहण व्यवसाय पर असर हुवा है जिस कारण 2020 -2021 मे तेंदूपत्ता संकलन क्षेत्र व युनिट की ठेकेदारों और व्यवसायिकों व्दारा खरेदी नही हो सकी है अनुमाणीत ऑनलाईन ई-टेंडर के बिक्री का लगभग 60% युनिट के लिऐ ठेकेदारोंने बोली नही लगाई। अकेले गडचिरोली जिले में ही 100 करोड़ रुपए के तेंदूपत्ते का कारोबार प्रभावित हुआ है। कोविड-19 के प्रभाव से तेंदूपत्ता व्यवसाय पर विपरीत परिणाम को देखा जा सकता है। जिला चंद्रपूर एंव गडचिरोली के कई गांवों में विशेष तौर पर बड़ी संख्या में आदिवासी मजदूर परिवारों को तीन से चार महीने के दौरान नकद राशि देने और उनका वार्षिक बजट निर्धारित करने वाली तेंदूपत्ता संग्रहण की गतिविधि ठप होने से उनका आर्थिक-सामाजिक ताना-बाना गड़बड़ा गया है।[7][8]

कोरोना संक्रमण का संकट :

तेंदूपत्ता संग्रहण की गतिविधि में सामाजिक दूरी बनाए रखना अपनेआप में बहुत मुश्किल होगा. वजह, इस प्रकार के कार्य बड़ी संख्या में मजदूरों द्वारा समूहों में और बहुत नजदीक बैठने से होते हैं। कई जगह पूरा गांव एक साथ मिलकर जंगल में पत्ते तोड़ने के लिए जाते हैं। पर सारे मजदूर दिन भर वृत्त आकार में नजदीक बैठकर तेंदूपत्ता जमा करते हैं। भीड़ बढ़ने से संक्रमण का खतरा बढता हैं। ऐसे में कोरोना संकरण का खतरा है। इसलिए, तेंदूपत्ता संग्रहण की पूरी प्रक्रिया मे कोरोना संकट ने एक बडी समस्या खडी की है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।मतलब एक तरफ भूख है तो दूसरी ओर महामारी का डर।कोरोना संकट में लॉकडाउन से गडचिरोली जिले में करीब 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रभावित हुआ है।[9][10]

तेंदूपत्तों की खरीदी में देरी:

स्थानिक तेंदूपत्ता संग्राहक समितियों द्वारा आदिवासियों ने संकलित किया तेंदूपत्ता कई बार देरी से खरीदा जाता है। जिसके कारण मौसम की मार झेलता तेंदूपत्ता खराब हो जाता है। हर साल उत्पादन के समय कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण सैकड़ों बोरा तेंदूपत्ता बीना बिक्री के पड़ा रह जाता है। वहीं बगैर मौसम वर्षा के साथ-साथ वर्तमान में कोरोना महामारी भी तेंदूपत्ता व्यवसाय को क्षतिग्रस्त कर रहा है। इन खराब पत्तों की खरीदी ना होने से आदिवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जिससे मेहनत बेकार जाती है और उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती।[11][12]

निष्कर्ष:

वन संपदा पर आधारित तेंदूपत्ता व्यवसाय कम-अधिक प्रमाण में ही सही ग्रामीणों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करता है किंतु श्रम के मुताबिक मेहनताना नहीं मिलता। तेंदूपत्ता का संकलन करने पर मिलने वाली मजदूरी 100-150 रुपए आज के महंगाई के युग में कहीं नहीं ठहरती। राज्य सरकार एक और ग्राम पंचायतों को वन संपदा का अधिकार देने की बात करती है वही हकीकत में ग्राम पंचायत केवल एजेंट के स्वरूप में सिमट गई है। तेंदू पत्तों से प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के वन विभाग के खातों में जाता है और नाम मात्र राशि स्थानिक विकास निधि के रूप में ग्राम पंचायत को मिलती है। आदिवासी बहुल वनक्षेत्रों में तेंदूपत्ता व्यवसाय स्थानीक ग्रामीण आदिवासियों के विकास हेतु उपयुक्त होने के बजाय उन्हें मजदूर स्वरूप इस्तेमाल करने का जरिया बन गया है। इन्हें नाम मात्र मजदूरी देकर उन्हींके वन-जंगल संसार से करोड़ों का मुनाफा व्यापारी और राज्य सरकार राजस्व रूप में बटोरती है जिन गावों के जंगलों से तेंदूपत्तों की बिक्री पर कमाई होती है उनका उपयोग ग्राम क्षेत्रों के विकास पर नहीं होता।

2006 का वन अधिकार कानून (Forest Rights Act 2006) आदिवासियों को अपने उदर निर्वाह और अर्थोपार्जन हेतु वन संपदा का अधिकार मिलने की उम्मीद जागी थी। किंतु सरकारों की नीति ने आदिवासियों से यह हक भी छीन लिया

2014 में PESA कानून को अधिनियमित (Amended) कर सरकार स्थानीक ग्राम पंचायतों से उनके अधिकार छीनकर केंद्र और राज्य सरकार के हाथों आदिवासी निवासित वनसंपदा, जल-जंगल-जमीन को केंद्रित कर दिया। जिससे ऊपरी तौर पर तो PESA कानून ग्राम विकास हेतु दर्शाया गया है किंतु केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास के नाम पर बाहरी कंपनियों और उद्योगों को (ग्राम पंचायतों से सहमति लिये बगैर भी) ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के वन संपदा को बेच सकती है। जिसमें ग्राम सभाओं के पास अब कोई अधिकार नहीं बचा है कि वह ग्राम क्षेत्रों के अंतर्गत अपने वन एवं खनिज संपदाओं पर अपना क्षेत्रीय अधिकार रख सके तथा स्थानीय निवासी या आदिवासियों को उनके निवासीत वन क्षेत्रों से प्राप्त उत्पन्न (Income) से उनका विकास कर सके। सरकार को प्राप्त राजस्व से आज तक सरकार ने ग्रामस्त आदिवासियों के विकास में जिला चंद्रपुर तथा नजदीकी गडचिरोली, भंडारा आदि क्षेत्रों में कोइ सुविधाएं या विकास कार्य किया हुआ नहीं दिखाई देता। राजस्व केवल मजदूरी के ऊपर बोनस के रूप में आदिवासी तेंदूपत्ता मजदूरों को दिया जाती है जो काम चलाऊ आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में तो सक्षम होता है लेकिन मूलभूत रूप से इन स्थानिक आदिवासी मजदूरों का विकास नहीं कर सकता।

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 2020 -2021 मे ठेकेदारों और व्यवसायिकों व्दारा खरेदी नही हो सकी है अनुमाणीत बिक्री का लगभग 60% युनिट के लिऐ ठेकेदारोंने तेंदपत्ता संकलन हेतू बोली नही लगाई। अकेले गडचिरोली जिले में ही 100 करोड़ रुपए के तेंदूपत्ते का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसी प्रकार स्थानिक तेंदूपत्ता संग्राहक समितियों द्वारा देरी से तेंदूपत्तों की खरेदी के कारण तेंदूपत्ता संकलनकर्ताओं की मेहनत बेकार जाती है और उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती। मौजूदा अनेकों चुनौतियों के बिच आज आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी वनक्षेत्र निवासित स्थानिक लोग तेंदूपत्ता संकलन कार्य कर रहे है।

संदर्भ सुची:

1) http://mahaforest.gov.in/writereaddata/fckimagefile/Tendu_2021_PESA-Option-1_Tender_Notice-2nd_Round.pdf
2) https://maharashtratimes.com/editorial/article/bidi-business-become ill/articleshow/58614688.cms
3) https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/after-dull-start-tendu-collection-picks-up/articleshow/75835900.cms
4) https://scroll.in/article/843046/ten-years-of-forest-rights-act-maharashtra-tops-in-implementation-but-credit-goes-to-one-district
5) https://www.hindustantimes.com/mumbai-news/31-killed-in-tiger-attacks-across-maharashtra-in-2020-highest-in-a-year-since-2010/story-uodHikRC1froTJRwIS5WVI.html
6) https://indianexpress.com/article/india/in-chandrapur-hotbed-forest-officials-bring-down-tiger-threat-7362568/
7) www.jagran.com/odisha/jharsuguda-tendu-leaf-sales-affected-due-to-gst-21585016.html

8) https://hindi.theprint.in/india/despite-of-state-governments-exemption-on-corona-lockdown-crisis-on-tribal-laboures/132663/
9) https://m.timesofindia.com/city/nagpur/greens-question-nod-for-tendu-collection-in-covid-ban-on-wildlife-tourism/amp_articleshow/82721243.cms
10) https://mahaforest.gov.in/Government of Maharashtra revenue and forest department office of the principal chief conservator of forests (Head of forest force) Maharashtra state, Nagpur. E-Tender notice inviting offers for permission to collect and remove Tendu leaves for 2020 season.
11) https://www.patrika.com/rajnandgaon-news/purchase-of-tendu-leaves-in-chhattisgarh-starting-today-6036187/
12) https://react.etvbharat.com/hindi/memorandum-to-collector-for-cash-payment-of tendu-patta-in-nagpur/ct20200704153337799

■ ■ ■